भारत दो रुपये TWO RUPEES INDIA Rs.2 FOR COPYING FEES ONLY

4
8=00
25-3-2022

न्यायालय उपजिलाधिकारी चौरीचौरा गोरखपुर।

वाद सं०: T202105340502751 मु० सुधीर कुमार राय बनाम सरकार	अन्तर्गत धारा 80 रा०सं० राजस्व अधिनियम बाबत मौजा बनापार तप्पा राजधानी परगना हवेली तहसील चौरीचौरा जनपद गोरखपुर

नकल आदेश दिनाँक 21-03-2022 की सत्यप्रतिलिपि
संलग्न मूल ① वर्क है।

न्यायालय उपजिलाधिकारी/उपजिला मजिस्ट्रेट
चौरी चौरा, गोरखपुर

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :गोरखपुर,जनपद :गोरखपुर,तहसील :चौरीचौरा
वाद संख्या :-RST/2751/2021
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202105310502751
डा0 सुधीर कुमार राय बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

विवेचना

प्रश्नगत वाद वादी डा0 सुधीर कुमार राय पुत्र अखिलानन्द राय निवासी न्यूराय कालोनी महेवा चुंगी गोरखपुर द्वारा धारा 80 उ0प्र0राजस्व सहिता 2006 के तहत दाखिल करते हुए यह अनुरोध किया गया है कि ग्राम रानापार में स्थित गाटा सं0 318मि0/0.405हे0 भूमि पर पक्का निर्माण (महाविद्यालय) बनां है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही होता है। इस प्रकार उक्त भूमि अकृषिक घोषित किया जाय।

वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार चौरीचौरा से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार चौरीचौरा की जांच आख्या दिनांक 19.09.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि गाटा सं0 318मि0/2.0230हे0 मे से 0.405हे0 भूमि पर पक्का निर्माण (महाविद्यालय) बनां है जो व्यवसायिक प्रयोग में लाया जा रहा है। इस प्रकार विवादित भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है। स्थल का फोटो संलग्न है।

मेरे द्वारा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध जांच आख्या एवं खसरा खतौनी, जो0च0आकार पत्र 41 व 45 व संलग्न फोटो आदि का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि पर वादी के नाम अंकित है तथा प्रश्नगत भूमि पर पक्का निर्माण (महाविद्यालय) बनाकर व्यवसायिक रूप में है, जो अकृषिक रूप में उपयोग में लायी जा रही है। चूँकि प्रश्नगत भूमि व्यवसायिक उपयोग में लाई जा रही है। राजस्व संग्रह सहिता 2006 की धारा 80 में स्पष्ट है कि व्यवसायिक/वाणिज्यिक उद्देश्य से किये जा रहे प्रकरणों में अकृषिक भूमि जिसे घोषित किया जाना है सरकारी रेट के अनुसार मालियत का दो प्रतिशत जरिये ट्रेजरी चालान व एक प्रतिशत जरिये स्टाम्प जमा किया जाना है। चूँकि प्रश्नगत भूमि पर महाविद्यालय बनाकर काबिज है, तथा शेष भूमि सहन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार धारा 80(1) उ0प्र0राजस्व सहिता 2006 में दी गयी विधिव्यवस्था लागू होगी। इस प्रकार कुल मालियत का एक प्रतिशत ई–स्टाम्प शुल्क 16200–00 व 16200–00रू0 जरिये ट्रेजरी चालान जमाकोष किया गया है, तथा खतौनी में अन्य कोई सहखातेदार नही है इसलिए सहमत पत्र दाखिल नही किया गया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित करने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नही होता है। इस प्रकार तहसीलदार चौरीचौरा की आख्या दिनांक 19.09.2019 स्वीकार करते हुए उक्त भूमि अकृषिक प्रख्यापित/प्रस्तावित किये जाने योग्य है।

उपजिलाधिकारी/उपजिला मजिस्ट्रेट चौरी चौरा,गोरखपुर

सत्यप्रतिलिपि

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :गोरखपुर,जनपद :गोरखपुर,तहसील :चौरीचौरा
वाद संख्या :-RST/2751/2021
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202105310502751
डा0 सुधीर कुमार राय बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

अतः ग्राम रानापार तप्पा राजधानी परगना हवेली तहसील चौरीचौरा जनपद गोरखपुर के गाटा सं0 318मि0/2.0230हे0 मे से मात्र 0.405हे0 भूमि को धारा 80(1) उ0 प्र0राजस्व सहिता 2006 संशोधित अध्यादेश 2019 अन्तर्गत गैरकृषिक प्रयोजन हेतु प्रख्यापित/प्रस्तावित किया जाता है। विवरण कालम में यह प्रविष्टि निरन्तर बनी रहेगी। तद्नुसार परवाना जारी हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबंन्धक चौरीचौरा को भेजी जाय। वाद अनुपालन पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
दिनांक–21.03.2022

(अनुपम कुमार मिश्र)
उपजिलाधिकारी चौरीचौरा
गोरखपुर।

डा0 सुधीर कुमार राय
74
24-03-2022
8=00
फोटो कापी
25-03-2022
25-03-2022

25/3/22

प्रमाणित
पेशकार 25/3/22
उप जिलाधिकारी
चौरी चौरा, गोरखपुर

उपजिलाधिकारी/उपजिला मजिस्ट्रेट चौरी चौरा,गोरखपुर